न्यूज़ टुडे

महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि हुई

हालिया PLFS डेटा के अनुसार, **महिला कार्यबल भागीदारी दर (WPR) 2017-18 की 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3%** हो गई।

- इसी अवधि में बेरोजगारी दर **5.6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत** हो गई है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों** में महिला रोजगार में **96% और शहरी क्षेत्रों में 43% की वृद्धि** हुई है।
- **महिला-नेतृत्व वाली उद्यमिता**
  - **स्व-रोजगार में वृद्धि:** महिला स्व-रोजगार **2017-18 के 51.9% से बढ़कर 2023-24 में 67.4%** हो गया। यह महिला स्व-रोजगार में **30% की वृद्धि** को दर्शाता है।
  - **स्टार्ट-अप्स:** लगभग 50% DPIIT-पंजीकृत स्टार्ट-अप्स में कम-से-कम **एक महिला निदेशक** है।
  - **वित्त की उपलब्धता:** कुल मुद्रा ऋणों में से **68% महिलाओं** को प्राप्त हुए तथा **पीएम स्वनिधि लाभार्थियों में 44% महिलाएं** हैं, जिससे वित्तीय समावेशन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs):** महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs की संख्या लगभग **दोगुनी** हो गई है। यह 2010-11 में 1 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.92 करोड़ हो गई है। इससे महिलाओं के लिए **89 लाख से अधिक रोजगार** उत्पन्न हुए हैं।
- पिछले दशक में **जेंडर बजट में 429% की वृद्धि** हुई है, जो **महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर एक आदर्श बदलाव** को दर्शाता है।
- **2047 तक विकसित भारत** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **कार्यबल में 70% महिला भागीदारी** सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

महिलाओं का विकास बनाम महिलाओं के नेतृत्व में विकास

- **महिलाओं का विकास (Women Development):** इसमें महिलाओं के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते हैं, लेकिन योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनका मूल्यांकन करने में महिलाओं की सीधी भागीदारी नहीं होती है।
- **महिलाओं के नेतृत्व में विकास (Women-Led Development):** यह एक आदर्श बदलाव है, जहां महिलाओं को केवल महिला के रूप में ही नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया में अग्रणी, निर्णयकर्ता और नवप्रवर्तक के रूप में भी देखा जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की अलग जनगणना की मांग की

यदि यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो **भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RGI)** आगामी जनगणना (2027) में PVTGs की अलग से गणना करेगा।

PVTGs के लिए अलग से जनगणना की आवश्यकता क्यों है?

- ऐतिहासिक रूप से PVTGs **आधिकारिक आंकड़ों में सटीक रूप से दर्ज नहीं** हो पाए हैं।
  - 75 PVTGs **में से लगभग 40** को अनुसूचित जनजातियों (STs) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें 2011 की जनगणना में शामिल किया गया है।
    - शेष समूह, जो अक्सर बड़ी जनजातियों के उप-समुदाय होते हैं, उन्हें **अलग से दर्ज नहीं** किया गया।
- **लक्षित और आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम बनाने** के लिए अलग जनगणना जरूरी है। जैसे- **प्रधान मंत्री जनमन (PM-JANMAN) कार्यक्रम**, जो देश के **200 से अधिक जिलों** में PVTGs के सामाजिक-आर्थिक अंतराल को कम करने के लिए बनाया गया है।

PVTGs के बारे में

- ये जनजातीय समुदायों में सबसे अधिक हाशिए पर और कमजोर वर्गों में से एक हैं।
  - 1960 के शुरुआती दशक में **ढेबर आयोग** ने सबसे पहले इन समूहों की पहचान की थी।
- भारत में कुल **75 PVTGs** समूह हैं, जो **18 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह** में निवास करते हैं।
  - एक हालिया केंद्र-स्तरीय सर्वेक्षण के अनुसार, देश में PVTGs की कुल आबादी **लगभग 45.56 लाख** है।
  - सबसे बड़ी आबादी: **मध्य प्रदेश – 12.28 लाख; महाराष्ट्र – 6.2 लाख; आंध्र प्रदेश – 4.9 लाख, आदि।**
- सरकार **PVTGs की पहचान करने के लिए** निम्नलिखित मानदंडों का पालन करती है-
  - कृषि-पूर्व (Pre-agricultural) युग का प्रौद्योगिकी स्तर,
  - साक्षरता का निम्न स्तर,
  - आर्थिक पिछड़ापन, तथा
  - घटती हुई या स्थिर आबादी।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RGI)

- **स्थापना: वर्ष 1949** में हुई, और यह **केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य** करता है।
- **मुख्य जिम्मेदारियां:**
  - **आवास एवं जनसंख्या जनगणना:** जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत।
  - **नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS): जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD) ,1969** के तहत। यह अधिनियम **जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण** का प्रावधान करता है।
  - **सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS):** यह जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जैसी महत्वपूर्ण जीवन दरों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है।
  - **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR): नागरिकता अधिनियम, 1955** के तहत बनाए गए **नागरिकता नियम, 2003** में निहित प्रावधानों के अनुसरण में।
  - **मातृभाषा सर्वेक्षण:** चयनित मातृभाषाओं की भाषाई विशेषताओं का दस्तावेज़ीकरण।

ट्रम्प की इंटेल डील और अमेरिका में स्टेट कैपिटलिज़्म की वापसी

अमेरिका ने **इंटेल कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदी है**। यह दिखाता है कि अब अमेरिका पूरी तरह "फ्री मार्केट कैपिटलिज़्म" से हटकर "**स्टेट-लेड कैपिटलिज़्म**" की तरफ बढ़ रहा है।

- सरकार का निवेश **पैसिव होगा व स्वामित्व हिस्सेदारी मतदान के बिना** होगी।

स्टेट कैपिटलिज़्म का संक्षिप्त इतिहास

- 1960 के दशक में, **फ्रांस और ब्रिटेन** जैसे यूरोपीय देशों ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए **कंप्यूटर एवं एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों में हस्तक्षेप** किया था।
- भारत ने स्वतंत्रता के बाद **सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों** की स्थापना की। इस कदम का उद्देश्य **तीव्र औद्योगीकरण को सुगम बनाना, रणनीतिक क्षेत्रकों पर राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित करना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा** देना था।

स्टेट कैपिटलिज़्म के बारे में

- इस आर्थिक प्रणाली में **सरकार अक्सर प्रमुख उद्योगों के स्वामित्व और संसाधनों के रणनीतिक आवंटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण नियंत्रण** रखती है। हालांकि, इसमें भी संपूर्ण व्यवस्था बाजार आधारित ही रहती है।

लाभ	दोष
यह महत्वपूर्ण उद्योगों पर रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। उदाहरण- परमाणु ऊर्जा।	अकुशलता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम। उदाहरण- एयर इंडिया में घाटा।
यह निजी क्षेत्रक के लिए अनाकर्षक क्षेत्रकों में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देता है।	निजी क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।	करदाताओं पर वित्तीय बोझ।

फ्री मार्केट कैपिटलिज़्म के बारे में

- इस आर्थिक प्रणाली में **उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी क्षेत्रक** होता है और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। निर्णय **आपूर्ति और मांग की शक्तियों** के माध्यम से लिए जाते हैं।

लाभ	दोष
यह प्रतिस्पर्धा, नवाचार और दक्षता को प्रोत्साहित करता है।	आवश्यक क्षेत्रकों (स्वास्थ्य, पर्यावरण, अवसंरचना, आदि) में बाजार संबंधी विफलता हो सकती है।
यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करता है और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है।	इससे असमानता बढ़ सकती है और रणनीतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है।

ग्राम सभाओं के पास CFR प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का अधिकार है

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि **सामुदायिक वन संसाधन (CFR) ग्राम सभाएं CFR प्रबंधन योजनाएं (CFRMPs)** बनाने का एकमात्र अधिकार रखती हैं। वे यह कार्य अपनी **CFR प्रबंधन समितियों** के जरिए करती हैं। उन्हें यह प्राधिकार **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के तहत प्राप्त है।

- यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने स्वयं को CFR अधिकारों के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी घोषित कर दिया था, जो FRA प्रावधानों के विपरीत था।
- FRA, 2006 का उद्देश्य वनों में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करना और उनकी आजीविका व खाद्य आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है।

सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाएं

- CFRMPs **सामाजिक न्याय को बढ़ावा** देती हैं, क्योंकि इनमें महिलाओं और जनजातीय युवाओं सहित हाशिए पर मौजूद समूहों को निर्णय लेने एवं आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। यह FRA के **पर्यावरणीय न्याय** के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  - ये योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र की **पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों** के अनुसार बनाई जाती है।
- यह समुदाय-आधारित मॉडल **टॉप-डाउन मॉडल** से बिल्कुल अलग है। यह ग्राम सभाओं को **सतत वन प्रबंधन और लचीली आजीविका के संरक्षक** के रूप में स्थापित करता है।
- इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने **2023 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** शुरू किया था।
  - यह एक अलग कार्यक्रम है, जिसके तहत **राज्य सरकारें उन गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को सूचीबद्ध** करती हैं, जिनकी मदद से **ग्राम सभाएं CFR प्रबंधन योजनाएं** तैयार कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक और प्रतिबंधित वाक् (Speeches) मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने यह टिप्पणी दिव्यांग-जनों के बारे में असंवेदनशील चुटकुले बनाने वाले सोशल मीडिया कॉमेडियन के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में कॉमेडियन पर "**अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग**" करने का आरोप लगाया गया है।

प्रमुख न्यायिक टिप्पणियां

- **व्यावसायिक और प्रतिबंधित भाषण को संरक्षण नहीं:** वाक् स्वतंत्रता (**अनुच्छेद 19(1)(a)**) के तहत व्यावसायिक भाषण या प्रतिबंधित वाक् शामिल नहीं हैं।
  - **घृणा वाक् (Hate Speech)/ प्रतिबंधित भाषण (Prohibited Speech):** ऐसी अभिव्यक्तियां जो किसी **धर्म, जाति, नस्ल या नृजातीयता** जैसी अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर किसी **समूह के खिलाफ शत्रुता, नफरत या हिंसा को बढ़ावा** देती हैं।
  - **व्यावसायिक भाषण (Commercial Speech): आर्थिक लाभ** के लिए किए गए विज्ञापन और संबंधित भाषण।
- **इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही:** बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को **जिम्मेदारी के साथ काम** करना चाहिए।
- **दंडात्मक कार्रवाई और मुआवजा:** ऐसे मामलों के लिए, कोर्ट ने **आईटी नियमों एवं सिनेमैटोग्राफ अधिनियम** के तहत समानुपातिक दंडात्मक उपायों का सुझाव दिया है।
- **सोशल मीडिया दिशा-निर्देश:** कोर्ट ने सरकार से **ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश** तैयार करने के लिए कहा है।

वाक् स्वतंत्रता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** इसमें स्वतंत्र वाक् और घृणित/ प्रतिबंधित **वाक् के बीच** अंतर किया गया। साथ ही, **व्यापक पहुंच वाले इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी पर भी जोर** दिया गया।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक **आसन्न खतरे का आभास न हो, तब तक वैध ऑनलाइन अभिव्यक्ति को बाधित नहीं** किया जा सकता।

भारत में ऑनलाइन कंटेंट विनियमन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क

- **आईटी अधिनियम, 2000 और उसमें संशोधन:** ये ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करते हैं। अधिनियम की **धारा 69A** के तहत, सरकार के पास किसी जानकारी तक आम लोगों की पहुंच को रोकने का अधिकार है।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:** यह ऐसे कंटेंट पर प्रतिबंध लगाता है, जो किसी व्यक्ति या समूह की आलोचना करता है, उसे बदनाम करता है या उस पर मानहानिकारक टिप्पणी करता है।

अन्य सुर्खियां

तवी नदी

भारत ने दरियादिली दिखाते हुए **जम्मू की तवी नदी में** बाढ़ के खतरे को लेकर **पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर** दिया।

- भारत ने बाढ़ की चेतावनी **राजनयिक माध्यमों से दी है, न कि सिंधु जल आयोग के माध्यम से**। गौरतलब है कि सिंधु जल संधि (IWT) के तहत इस तरह की चेतावनी देना अनिवार्य है।
  - हालांकि भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद **सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया है।**

तवी नदी के बारे में

- **उद्गम:** इसका उद्गम **डोडा जिले में भद्रवाह के निकट कैलाश कुंड ग्लेशियर (काली कुंड)** से होता है।
- **सहायक नदी:** यह **चिनाब नदी में बायीं किनारे से मिलने** वाली सहायक नदी है।
- **महत्व:** इसे **जम्मू शहर की "जीवन रेखा"** माना जाता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने **वैश्विक स्तर पर भोजन की कमी के संकट से** निपटने के उद्देश्य से **सहयोग की घोषणा की है**।

संयुक्त राष्ट्र-विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के बारे में

- यह **विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो आपात स्थितियों में लोगों का जीवन बचाने तथा खाद्य सहायता के जरिए शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।**
- यह आवश्यक खाद्य सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करके **संघर्षों, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उबरने में लोगों की सहायता करता है।**
- WFP **120 से अधिक देशों में कार्य करता है जिनमें भारत भी शामिल है।**
- WFP को **वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ब्लड बैंक के लिए दिशानिर्देश/SOPs

इसे भारत सरकार के **पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी** किया जाता है।

- ये पूरे देश के लिए एक ऐसा **फ्रेमवर्क** प्रदान करते हैं, ताकि पशुओं में रक्त चढ़ाने (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की प्रक्रिया **सुरक्षित, नैतिक और वैज्ञानिक आधार वाली हों**।
- पूरी दुनिया में यह माना गया है कि **रक्त चढ़ाना जीवन बचाने वाली प्रक्रिया है। यह खासकर निम्नलिखित स्थितियों में बहुत ज़रूरी है:**
  - दुर्घटना या घायल होने,
  - गंभीर एनीमिया के रोगी,
  - ऑपरेशन के दौरान खून की कमी,
  - संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने,
  - खून जमने की समस्या।

दिशा-निर्देश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- यह रक्तदाता का चयन, रक्त संग्रह, स्टोरेज और रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाता है।
- यह जूनोटिक रोगों (जानवरों से फैलने वाले रोगों) के खतरे को कम करने के लिए **वन हेल्थ सिद्धांत** को अपनाता है।
- यह **राष्ट्रीय पशु चिकित्सा रक्त बैंक नेटवर्क** को आधार प्रदान करता है ।
- यह **पशु चिकित्सा में शिक्षा**, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

इम्युनोग्लोबुलिन एम (IgM) एंटीबॉडी

एक नए अध्ययन के अनुसार, IgM एंटीबॉडी **हानिकारक प्रोटीन्स को यांत्रिक रूप से स्थिर करने का कार्य भी कर** सकते हैं।

IgM एंटीबॉडी के बारे में

- यह **सबसे बड़ा और पहला एंटीबॉडी** है जिसे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली तब बनाती है जब वह **वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या अन्य हानिकारक रोगजनकों से लड़ रही होती** है।
  - एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए **सुरक्षात्मक प्रोटीन्स** होती हैं।
- यह वह पहला एंटीबॉडी भी है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली **भ्रूण के रूप में विकसित करना शुरू करती है**।
- यह **रक्त और लसीका** (लिम्फ) में पाया जाता है।

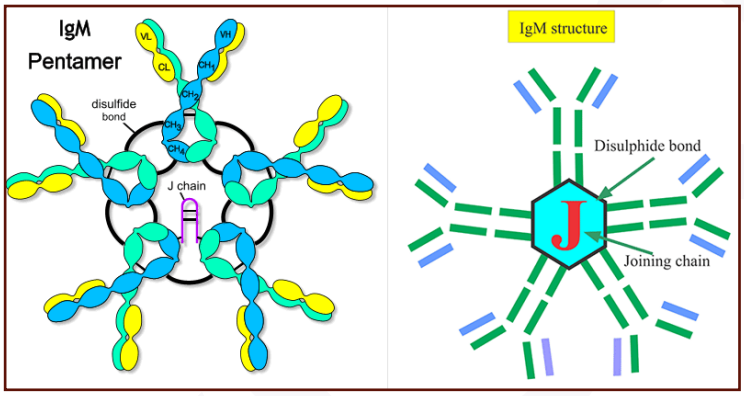

रेअर अर्थ मैग्नेट

वाहन निर्माता कंपनियां **रेअर अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण गाड़ियों में कुछ फ़ीचर्स कम** कर रही हैं और दूसरे विकल्प तलाश रही हैं।

रेअर अर्थ मैग्नेट के बारे में

- ये एक तरह के स्थायी चुंबक होते हैं जो **दुर्लभ मृदा तत्वों** (Rare earth elements: REE) के मिश्र धातुओं से बने होते हैं।
  - दुर्लभ मृदा तत्व कुल सत्रह (17) तत्वों का एक समूह है।
- **विशेषताएं:** इनमें ज्यादा घनत्व, उच्च चालकता, असाधारण चुंबकीय शक्ति और उच्च ऊर्जा घनत्व होता है।
- **मैग्नेट के प्रकार:** ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: **नियोडिमियम** (NdFeB) और **सैमरियम-कोबाल्ट** (SmCo)।
- **उपयोग:** इनके कारण **छोटे तथा शक्तिशाली मैग्नेट** बनाना संभव हुआ है। इनका उपयोग **इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और ऑटोमोबाइल उद्योगों** में होता है।

हिम तेंदुए

जम्मू और कश्मीर में हुए एक अध्ययन के अनुसार **जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य तेंदुए हिम तेंदुओं के पर्यावासों में घुस रहे हैं**।

हिम तेंदुए के बारे में

- **भारत में पर्यावास:** ये मुख्य रूप से **जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश** में पाए जाते हैं।
- **विशेषताएं:** इनके शरीर पर गहरे रंग के धब्बों के साथ स्मोकी-ग्रे रंग का फर होता है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और सुबह तथा शाम के समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं।
  - बाघ और शेर जैसी अन्य बिग कैट्स प्रजातियों के विपरीत, ये **दहाड़ नहीं सकते**।
- **राज्य पशु:** यह **हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु** (स्टेट एनिमल) है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: **वल्नरेबल** के रूप में सूचीबद्ध,
  - CITES: **परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध**,
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I और IV में सूचीबद्ध**।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

फ़िजी द्वीप समूह (राजधानी: सुवा)

भारत और फिजी ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नए उपायों की घोषणा की।

भौगोलिक अवस्थिति

- फिजी गणराज्य **दक्षिण प्रशांत महासागर में** अवस्थित है।
- **संरचना:** इसमें लगभग 330 द्वीप और 500 लघु द्वीप और रीफ्स (भित्तियां) शामिल हैं।

भौगोलिक विशेषताएं

- **प्रमुख द्वीप:** विटी लेवु और वनुआ लेवु।
- **स्थलाकृति:** बड़े द्वीप ज्वालामुखीय हैं; **माउंट टोमानिवी** (1,324 मी.) सबसे ऊँची चोटी है।
- **प्रवाल द्वीप:** लघु द्वीप प्रवाल हैं और रीफ्स (भित्तियों) से घिरे हैं।